



38037 - क्या औरत रमजान के पूरे अंतिम दस दिनों का एतिकाफ़ करेगी ?

प्रश्न

मैं एक नव मुस्लिम महिला हूँ और मैं महिला के एतिकाफ़ के बारे में पूछताछ करना चाहती हूँ। क्या महिला के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना जायज़ है यदि उसमें महिलाओं के लिए विशिष्ट स्थान है ? यदि उनके लिए एतिकाफ़ करना जायज़ है तो उसके लिए कितने दिन एतिकाफ़ करना संभव है (तीन दिन या सात दिन या सभी दस दिन) ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सभी प्रशंसाएँ अल्लाह के लिए योग्य हैं जिसने आप का इस्लाम की ओर मार्गदर्शन किया, हम अल्लाह तआला से प्रार्थना करते हैं कि वह आपके ईमान और मार्गदर्शन में वृद्धि करे।

जी हाँ, महिला के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना जायज़ है, बल्कि एतिकाफ़ करना पुरुषों और महिलाओं सभी के लिए सुन्नत है।

प्रश्न संख्या (37698) देखें।

सर्वश्रेष्ठ यह है कि रमजान के अंतिम दस दिनों का एतिकाफ़ किया जाए, क्योंकि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अमल था, बुखारी (हदीस संख्या : 2026) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1172) ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमजान के अंतिम दस दिनों का एतिकाफ़ करते थे यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको मृत्यु दे दी, फिर आपके बाद आपकी पत्नियों ने एतिकाफ़ किया।

यदि मुसलमान पूरे अंतिम दस दिनों का एतिकाफ़ न कर सके, तो वह जितना उसके लिए आसान हो एतिकाफ़ करे, दो दिन, या तीन दिन, या उससे अधिक या उससे कम चाहे एक रात ही क्यों न हो।

शैख़ इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

एतिकाफ़ का मतलब है अल्लाह तआला की आज्ञाकारिता के लिए मस्जिद में रहना, चाहे उसकी अवधि अधिक हो या थोड़ी, क्योंकि - जहाँ तक मुझे पता है - इस बारे में कोई ऐसा प्रमाण वर्णित नहीं है जो एक दिन या दो दिन या उससे अधिक



दिनों के निर्धारण को इंगित करता हो।" अंत हुआ।

फतावा शैख इब्ने बाज़ (15/441)

इस्लाम प्रश्न और उत्तर